

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

की

70वीं बोर्ड बैठक का

एजेण्डा एवं कार्यवृत्त

दिनांक : 23.03.2023

(परिचालन के माध्यम से)



सचिव/उपाध्यक्ष महोदय


कृपया अवगत कराना है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु भूमि महायोजना-2021 हेतु चिन्हित की गई है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु निर्धारित कम से कम 25 एकड़ भूमि व पंजीकरण की शर्तों का सामान्यतः कालोनाईजर/बिल्डर द्वारा पूर्ण न किये जाने के कारण इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु चिन्हित क्षेत्र में सामान्य ले-आउट प्रस्तुत किये जाने पर समय-समय पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु चिन्हित क्षेत्र में सामान्य ले-आउट स्वीकृति करने विषयक प्रस्ताव समय-समय पर प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमति हेतु रखकर स्वीकृति प्राप्त की गई थी। 69वीं बोर्ड के एजेण्डा आईटम संख्या-69/04 पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु चिन्हित स्थलों को इंटीग्रेटेड टाउनशिप से अवमुक्त करते हुए महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार जोनिंग रेगुलेशन व प्रभावी भवन उपविधि के अनुसार विकास/निर्माण की अनुमति देने का स्पष्ट एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ मा0 बोर्ड के समक्ष रखा गया था तथा बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त होने पर उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा-13(1) के अधीन दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर उनका निस्तारण कर बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।


उक्त प्रस्ताव पर मा0 बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा-13(1) के अधीन दो समाचार पत्रों (दैनिक अमर उजाला दिनांक 08.02.2023 एवं दैनिक हिन्दुस्तान 08.02.2023) में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। निर्धारित अवधि में प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।


अवगत कराना है कि वर्तमान में महायोजना-2021 में चिन्हित इंटीग्रेटेड टाउनशिप भू-उपयोग में सामान्य तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनका निस्तारण किया जाना है।

अतः प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड के एजेण्डा आईटम संख्या-69/04 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रकाशित विज्ञप्ति पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने के आलोक में मा0 बोर्ड के समक्ष इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु चिन्हित स्थलों को इंटीग्रेटेड टाउनशिप से अवमुक्त करते हुए महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार जोनिंग रेगुलेशन व प्रभावी भवन उपविधि के अनुसार विकास/निर्माण की अनुमति देने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के सदस्यों से हस्ताक्षरार्थ एवं स्वीकृतार्थ हेतु सम्मुख ओर पत्रावली पर प्रस्तुत है।

कृपया अवलोकन कर मा0 बोर्ड के सदस्यों से हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।


सहायक अभियन्ता
प्र0 अधिशासी अभियन्ता


23/3/23


23/3/23
उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

एजेण्डा नोट

अनुपूरक एजेण्डा आईटम संख्या : 70/01 (परिचालन के माध्यम से)


विषय : महायोजना में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के रूप में चिन्हित भूमि में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप से अवमुक्त करते हुए महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार मानचित्र स्वीकृत करने के संबंध में।


कृपया अवगत कराना है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु भूमि महायोजना-2021 हेतु चिन्हित की गई है। इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु निर्धारित कम से कम 25 एकड़ भूमि व पंजीकरण की शर्तों का सामान्यतः कालोनाईजर/विन्डर द्वारा पूर्ण न किये जाने के कारण इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु चिन्हित क्षेत्र में सामान्य ले-आउट प्रस्तुत किये जाने पर समय-समय पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु चिन्हित क्षेत्र में सामान्य ले-आउट स्वीकृत करने विषयक प्रस्ताव समय-समय पर प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमति हेतु रखकर स्वीकृति प्राप्त की गई थी। 69वीं बोर्ड के एजेण्डा आईटम संख्या-69/04 पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु चिन्हित स्थलों को इन्टीग्रेटेड टाउनशिप से अवमुक्त करते हुए महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार जोनिंग रेगुलेशन व प्रभावी भवन उपविधि के अनुसार विकास/निर्माण की अनुमति देने का स्पष्ट एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ मा0 बोर्ड के समक्ष रखा गया था तथा बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त होने पर उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा-13(1) के अधीन दो समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर उनका निस्तारण कर बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

उक्त प्रस्ताव पर मा0 बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा-13(1) के अधीन दो समाचार पत्रों (दैनिक अमर उजाला दिनांक 08.02.2023 एवं दैनिक हिन्दुस्तान 08.02.2023 की प्रति संलग्न) में विज्ञापित प्रकाशित कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। निर्धारित अवधि में प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।

अवगत कराना है कि वर्तमान में महायोजना-2021 में चिन्हित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप भू-उपयोग में सामान्य तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनका निस्तारण किया जाना है।

69V Boardmitting








- 2 -


अतः प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड के एजेण्डा आईटम संख्या-69/04 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रकाशित विज्ञापित पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने के आलोक में मा0 बोर्ड के समक्ष इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु चिन्हित स्थलों को इन्टीग्रेटेड टाउनशिप से अवमुक्त करते हुए महायोजना-2021 में प्राधिकरण की भवन उपविधि के अनुसार विकास/निर्माण

अतः प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड के एजेण्डा आईटम संख्या-69/04 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रकाशित विज्ञापन पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने के आलोक में मा0 बोर्ड के समक्ष इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु चिन्हित स्थलों को इंटीग्रेटेड टाउनशिप से अवमुक्त करते हुए महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार जोनिंग रेगुलेशन व प्रभावी भवन उपविधि के अनुसार विकास/निर्माण की अनुमति देने का प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।


(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
प्र0 अधिशासी अभियन्ता



(विजय कुमार सिंह)
नगर नियोजक



(रामजी लाल)
सचिव



(आशीष कुमार)
उपाध्यक्ष


निर्णय


उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त महायोजना-2021 में चिन्हित इंटीग्रेटेड टाउनशिप को इंटीग्रेटेड टाउनशिप से अवमुक्त करते हुए महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार जोनिंग रेगुलेशन व प्रभावी भवन उपविधि के अनुसार विकास/निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है तथा इस संबंध में शासन को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।



(रुचिन यादव)
अधिशासी अभियन्ता
प्रतिनिधि- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0



(सी0पी0सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
प्रतिनिधि- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0



(के0मोहन)
प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उ0प्र0, लखनऊ।



(गोविन्द शुक्ला)
अपर निदेशक कोषागार, सहा0
प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।



(अमित गगनेजा)
गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य



(सुरेन्द्र शर्मा)
गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य


(राकेश जैन)
गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य


(गजेंद्र भारद्वाज)
नगर आयुक्त
नगर निगम, सहारनपुर।


(आशीष कुमार)
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।


(अखिलेश सिंह)
जिलाधिकारी,
सहारनपुर।


(लोकेश एम0)
अध्यक्ष/आयुक्त
विकास प्राधिकरण/सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।